शहरी विकास मंत्रालय

भारत सरकार

http://www.moud.gov.in

शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं

के लिए

शुल्क ढाँचे

पर

एडवाइजरी

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन

(सीपीएचईईओ)

जुलाई 2013

शहरी विकास मंत्रालय

भारत सरकार

(http://www.moud.gov.in)

शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं

के लिए

शुल्क ढाँचे

पर

एडवाइजरी

सचिव
शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार

प्राक्कथन

डॉ. सुधीर कृष्णा

शहरी जलापूर्ति और सीवरेज सेवाओं हेतु शुल्क ढांचें संबंधी यह एडवाइजरी उपयुक्त जल/सीवरेज शुल्क अंगीकार करने में राज्यों और शहरों को दिशानिर्देश प्रदान करने हेतु एक प्रयास है ताकि इसे शुरू करने के लिए कम से कम ओएंडएम अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु शत-प्रतिशत लागत वसूल की जा सके। इससे जल और सीवरेज क्षेत्र में उपभोक्ताओं को सेवा प्रदानगी में सुधार आएगा। सभी मूलभूत शहरी सेवाओं के लिए वित्तीय निरंतरता महत्वपूर्ण है। जलापूर्ति जैसी सेवाओं में उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त लाभ प्रत्यक्ष होते हैं और सहजतापूर्वक इसी प्रकार सीवरेज प्रबंधन में कुछ लाभ तो सीधे उपभोक्ताओं को मिलते हैं परन्तु कुछ लाभ सतत पर्यावरण और जन स्वास्थ्य संबंधी फायदों के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। यह सुनिश्चित करना समय की मांग है कि सेवाओं की पूरी प्रचालनात्मक लागत की प्रयोक्ता प्रभारों, शुल्कों और करों के जरिए भरपाई की जाए।

जल का मूल्य निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह बात राष्ट्रीय जल नीति में भी प्रतिबिंबित हुई है। राष्ट्रीय जल नीति में जीवन और पारि-तंत्र को कायम रखने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने एवम् गरीबों की आजीविका को सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जाती है। पूरे विश्व में यह तेजी से उभरता हुआ दृष्टिकोण है कि अनुमापी मापन आधार पर जल प्रभार निर्धारित किए जाने चाहिएं ताकि साम्या, कार्योत्पादकता और आर्थिक सिद्वांतों की पूर्ति की जा सके। प्रस्तुत एडवाइजरी अनेक शहरों/राज्यों में व्याप्त विभिन्न जल करों के आधार पर राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के मार्गदर्शन के लिए एक संकलन है और विभिन्न राज्यों के अनुरूप उपयुक्त शुल्क ढांचा तैयार करने में इसका संदर्भ लिया जा सकता है।

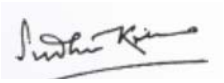

डॉ. सुधीर कृष्णा

संयुक्त सचिव
शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार

आमुख

डॉ. अशोक सिंघवी

शहरी जलापूर्ति और सीवरेज सेवाओं में शुल्क ढांचे संबंधी एडवाइजरी का प्रयोजन जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली में लागत वसूली के लिए उपयुक्त शुल्क ढांचा तैयार करने में राज्यों और शहरों को सहायता प्रदान करना है। ऐसा महसूस किया गया है कि प्रचालन लागत की भरपाई बगैर जलापूर्ति और सीवरेज क्षेत्र में सेवाओं में निरंतरता नहीं रहेगी। लागत वसूली, जलापूर्ति और सीवरेज क्षेत्र में सेवा प्रदानगी उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण विकल्प है। इस एडवाइजरी में ऐसे प्रोत्साहन शामिल हैं जिन्हें जल के पुन: चक्रण और पुन: इस्तेमाल के लिए अपनाया जा सकता है। देश में शहरीकरण की तीव्र गति को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव भविष्य में जल की मांग में कमी लाने में मदद करेगा। संवर्धित ब्लॉक शुल्क (आईबीटी) तैयार किया गया है जिसे पूरे शहर में एकसमान सेवा की पूर्ति के लिए जल की मांग में कमी लाने हेतु सभी राज्यों/शहरों में अपनाए जाने की आवश्यकता है। तथापि, शहर में रहने वाले गरीब लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए नाममात्र दरों पर जीवन रेखा जलापूर्ति भी शामिल की गई है ताकि लोगों को भुगतान करने की आदत डाली जा सके और जल की बर्बादी को हतोत्साहित किया जा सके।

शहर की सरकार/राज्य की सरकार इस एडवाइजरी के अनुरूप उचित शुल्क ढांचा तैयार कर सकती है जो जलापूर्ति और सीवरेज सेवाओं की निरंतरता में सहायता प्रदान करेगा। इन शुल्कों को नियमित आधार पर उपयुक्तत: संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस तंत्र को दुरूस्त रखने के लिए ओ एंड एम खर्चों की पूर्ति की जा सके।

डॉ. अशोक सिंघवी

विषय-सूची

1. पृष्ठभूमि 9

2. जल संबंधी शुल्क सूची 9

2.1 जल पर प्रभार लगाना 9

2.2 जल की प्रचलित शुल्क-सूची 9

2.3 प्रस्तावित मॉडल शुल्क सूची 9

2.4 शुल्क संशोधन 9

3. सीवरेज संबंधी शुल्क 9

3.1 सीवरेज सिस्टम के लिए प्रस्तावित शुल्क 9

3.2 शुल्क संशोधन 9

4. उदाहरणः कुछ शहरों में प्रचलित प्रयोक्ता प्रभार 9

1. पृष्ठभूमि

उपभोक्ता स्तरों पर भारत के शहरीकरण और वृद्धि दर में तेजी आने से शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल 1210.02 मिलियन जनसंख्या में से शहरी जनसंख्या 377.1 मिलियन है जिसमें से 7935 मिलियन शहरों में रहते हैं जो कुल जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत है। देश में शहरी वृद्धि की दर विकसित देशों की तुलना में अत्यधिक उच्च है और बड़े शहरों में जनसंख्या का लगातार प्रवास होने के कारण ये शहर और बड़े होते जा रहे हैं। यह भी अनुमान है कि वर्ष 2050 तक शहरी जनसंख्या देश की जनसंख्या के 50 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी तथा 695 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में रहेंगें। उच्च शहरी जनसंख्या वृद्धि का रूझान नीचे तालिका 1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1: भारत में शहरी जनसंख्या की वृद्धि

दूसरी ओर, शहरी जलापूर्ति सेवा प्रदायगी तंत्र दीर्घकालिक अक्षमताओं और घटिया गुणवत्ता वाली सेवाओं द्वारा अभिलक्षित होता रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 70.6 प्रतिशत शहरी घरों में पानी के नल के कनेक्शन हैं जिसमें से 62 प्रतिशत शोधित स्रोत से हैं। 20.8 प्रतिशत घर हैंड पंपों/टयूब वेलों पर आश्रित हैं, 6.2 कुंए का पानी इस्तेमाल करते हैं तथा 2.5 प्रतिशत लोग अन्य स्रोत से पानी लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि शहरी जनसंख्या के महत्वपूर्ण हिस्से की अवसंरचना तक तो पहुँच है लेकिन शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति सेवाएं घटिया गुणवत्ता, निम्न आपूर्ति विश्वसनीयता, घटिया जल गुणवत्ता उच्च गैर राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) स्तरों, तथा अल्प लागत में भरपाई द्वारा अभिलक्षित होती है। घटिया राजस्व अर्जन इस मामले को और बिगाड़ देते है। अधिकतर शहरी केन्द्रों में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में अत्यधिक विभिन्नता है। औसतन प्रतिदिन एक से तीन घंटें तक ही पानी की आपूर्ति होती है चाहे कितनी भी मात्रा उपलब्ध हो। मौजूदा अवसंरचना उच्च प्रचालनात्मक अक्षमता से ग्रस्त है उदाहरणार्थ सिस्टम में पंप किया गया लगभग 30-60 प्रतिशत पानी उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि यह चोरी और ऐसे ही अन्य कारणों की वजह से संचरण में ही व्यर्थ हो जाता है तथा इसमें से सर्वाधिक क्षति उपभोक्ता के प्रांगण में होती है। अभी भी अधिकतर शहरों में उपभोक्ता स्तरीय मीटरिंग मानक नहीं है और जहां इसे लागू भी किया गया है वहां मीटरों का अनुरक्षण और व्यावहारिकता घटिया प्रतीत होती है। कम शुल्क, प्रचालनात्मक अक्षमताएं और खराब शुल्क संग्रहण प्रथाओं का परिणाम ओ एंड एम लागत की 40-50 प्रतिशत पर निम्न लागत वसूली दरों के रूप में निकला है। इन कमियों से स्थानीय सरकारों की निम्न स्तरीय तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता द्वारा समझौता कर लिया जाता है जो अपने नागरिकों की सेवा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अनुपयुक्त होती है।

उपर्युक्त यथा वर्णित अनुपयुक्त पानी की उपलब्धता की समस्या पर जलापूर्ति में संवर्धन करने हेतु मुख्यत: नई परिसंपत्तियों के सृजन द्वारा ध्यान देने हेतु सुध ली गई है। इनका परिणाम अनिवार्यत: सेवा निरंतता में सुधार किए बगैर संवर्धित लागतों के रूप में निकला है। मौजूदा परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के जरिए सेवा प्रदानगी में उन्नयन हेतु अल्प अथवा नगण्य प्रयास किए गए थे। अनुरक्षित परिसंपत्ति की अपेक्षा का परिणाम परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट और परिणामस्वरूप सेवा स्तरों तथा प्रचालन अक्षमताओं में गिरावट के रूप में निकला है। परिसंपत्तियों को पूर्वावस्था में लाने और नवीकरण करने संबंधी प्रयास भी घटिया रूप से अनुरक्षित परिसंपत्ति रजिस्टर और रिकार्डों से और मजबूर हो जाते हैं।

इसी प्रकार स्वच्छता (सेनिटेशन) क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र में उपयुक्त सेवाओं का अभाव है। वर्ष 2011 की जनगणना का हालिया डाटा यह दर्शाता है कि शहरी भारत में 18.6 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं है और केवल 32.7 प्रतिशत शौचालय ही सीवरेज सिस्टम से जुड़े हुए हैं जबकि 38.2 प्रतिशत सेप्टिक टैंक से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 5161 शहरों में से केवल 300 शहर/कस्बों में ही सीवरेज सिस्टम है। स्वच्छता (सेनिटेशन) क्षेत्र में मुख्य चुनौतियां अपर्याप्त सांस्थनिक क्षमता तथा उन्नत सेवा स्तरों को बनाए रखना है।

पूंजीगत और ओएंडएम कार्यों के लिए संस्थागत वित्तपोषण के अलावा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) घरेलू/औद्योगिक प्रयोक्ताओं से प्रयोक्ता प्रभार और एकबारगी क्नेक्शन प्रभार तथा विभिन्न औद्योगिक/सिंचाई इकाइयों को शोधित जल की बिक्री संबंधी प्रयोक्ता प्रभार संग्रह करता है। प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी खर्चों की पूर्ति तथा अवसंरचना को बनाए रखने के लिए उपयुक्त सीवरेज शुल्क भी आवश्यक है।

हाल ही के वर्षों में उन्नत शहरी सेवाओं तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) जैसी सुधार-आबद्व योजनाओं ने एक नई क्षेत्रगत शब्दावली बनाई है जो लागत वसूली, सेवा उत्तरदायित्व और निजी भागीदारी जैसे घटकों को मुख्य धारा में लाने में सहायक सिद्व हुई है। तथापि, विगत वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में किए गए निवेश और आबंटन के बावजूद उपयुक्त जलापूर्ति सेवाओं का अभी भी अभाव है। जनगणना के अनुसार इसमें सुधार हुआ है यद्यपि व्यापक सेवा अंतराल और गंभीर संस्थागत चुनौतियां इस क्षेत्र में सिर उठाए खड़ी है।

मंत्रालय ने जलापूर्ति सेवाओं में शत-प्रतिशत लागत वसूली के लिए वांछित सेवा स्तरीय बेंचमार्क अधिसूचित किया है। इसका लक्ष्य वैधुत, रसायन, स्टाफ, आउटसोर्स्ड प्रचालन कार्य, पानी की बड़ी मात्रा में आने वाली लागत और अन्य ओ एंड एम संबंधी व्यय जैसे सभी प्रचालनात्मक खर्चों की पूर्ति करना था परन्तु इसमें किसी वर्ष विशेष में जलापूर्ति से संबद्ध राजस्व के जरिए ब्याज का भुगतान, मूल अदायगी और अन्य पूंजीगत व्यय शामिल नहीं था। इस राजस्व में बड़ी मात्रा में पानी, टैंकर इत्यादि की बिक्री, कर/उपकर/ सरचार्ज, प्रयोक्ता प्रभार, कनेक्शन प्रभार शामिल हैं और इसमें अनुदान, ऋण आदि के रूप में पूंजीगत आय शामिल नहीं है। वर्ष 2008-09 में किए गए एक सर्वेक्षण ने दर्शाया कि लागतगत वसूली औसतन 67.2 प्रतिशत है जबकि केवल 5 शहरों ने ओ एंड एम की पूरी लागत वसूल की और 16 यूएलबी अपनी ओ एंड एम की मूल लागत की तुलना में 65 प्रतिशत से भी कम वसूल पाए।

जलापूर्ति, सीवरेज और कूडा-करकट संग्रह जैसी शहरी सेवाओं के लिए न केवल शहरी अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों में बड़े निवेश की अपितु प्रभावोत्पादक प्रचालन और प्रभावी प्रदायगी के लिए नियमित अनुरक्षण की भी जरूरत होती है। इन सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभारों से यह सुनिश्चित होता है कि परिसंपत्तियां दुरुस्त हैं और सेवा प्रदानगी सतत है। आदर्शत: जल संबंधी शुल्क में न केवल सिस्टम के प्रचालन और अनुरक्षण की लागत अपितु पूंजीगत प्रतिस्थापन लागत भी शामिल होनी चाहिए। तथापि, भारत के अधिकतर शहरों और कस्बों में ओ एंड एम लागत की भी वसूली नहीं होती है। जल को एक अनिवार्य वस्तु माना जाता है और इसे कम दरों पर और यहां तक कि नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। निर्धारित दरों को भी प्रचालित दर को प्रतिबिंबित करने के लिए बार-बार संशोधित नहीं किया जाता है। जिससे उत्पादन लागत और प्रभारित शुल्क के बीच अंतराल बढ़ जाता है।

मंत्रालय की उच्च अधिकार प्राप्त सशक्त समिति (एचपीईसी) की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि प्रयोक्ता प्रभारों को सेवाएं सुधारने के लिए बेहतर रूप से इस्तेमाल करने के अधिकाधिक साक्ष्य से निम्न प्रयोक्ता प्रभारों तथा घटिया सेवा प्रदानगी का दुष्चक्र टूट जाएगा।

इस समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित की सिफारिश की गई है:

क. जहां सेवाओं मापित हो सकती हैं तथा लाभार्थी अभिज्ञात हो सकते हैं वहां करों की अपेक्षा प्रयोक्ता प्रभार लगाए जाने चाहिए। जहां लाभार्थियों को सहजतापूर्वक मापित नहीं किया जाता है अथवा लाभों को सहजतापूर्वक मापित नहीं किया जा सकता, वहां सेवाओं की लागत की पुन: प्राप्ति उचित आधार पर एक स्थापना कर के जरिए की जानी चाहिए। अत: संपत्ति करों में आमेलित करने की बजाय जल कर लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार सीवरेज प्रभारों को भी संपत्ति कर में शामिल करने की बजाए अलग से वसूलना चाहिए;

ख. प्रयोक्ता प्रभार इस प्रकार संरचित होने चाहिए ताकि वे, ओ एंड एम संबंधी लागत, कर्ज की अदायगी और परियोजना की लागत से संबंधित मूल्यहास की पूर्ति कर सकें। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ अतिरिक्त राशि भी सृजित करनी चाहिए ताकि वे यूएलबी के साम्या आधार तैयार कर सके, यथोचित व्यवहार्यता अंतराल विधियन (वीजीएफ) को सहायता प्रदान कर सके;

ग. चूंकि यूएलबी को प्रयोक्ता प्रभार लगाने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन लेना पड़ता है अत: इससे उनकी स्वायत्तता सीमित हो जाती है और इसका शहरी सेवा प्रदानगी हेतु उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समिति यह सिफारिश करती है कि नगर (म्युनिसिपल) सेवा विनियामक को नियमित रूप से प्रयोक्ता प्रभार संशोधित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। चाहे जनसंख्या के विभिन्न वर्गों का अलग-अलग प्रभारित किया जाए तब भी क्रॉस-सब्साइडाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि ओ एंड एम की पूरी लागत वसूल हो जाए तथा न्यूनतम अतिरिक्त राशि बचे। स्वत: (औटोमेटिक) सूचीकरण से प्रत्येक कुछेक वर्षों में संचयी समाशोधन की वकालत करने की चुनौती के बगैर समय के साथ-साथ सुचारू वृद्धि सुनिश्चित होगी;

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में उत्तरवर्ती अध्याय में मीटरयुक्त कनेक्शनों पर जोर देने के साथ जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम के लिए मॉडल शुल्क ढांचा तैयार करने के प्रयास किए गए हैं ताकि इन सुविधाओं को दुरूस्त रखने में प्रचालन और रख-रखाव हेतु तथा वांछित सेवा प्रदानगी मानक सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रयोक्ता प्रभार का संग्रह किया जा सके। ये प्रयास मूल्यवान शोधित पानी की बर्बादी, जो फिलहाल आपूर्ति किए गए पानी की 30 से 60 प्रतिशत है और जल संवितरण नेटवर्क में होने वाले सभी प्रकार की 60 प्रतिशत क्षतियां खराब मीटर वाले कनेक्शनों की वजह से घर के प्रांगण में ही होती है; रोकने के लिए चिरकाल तक चलेंगें।

2. जल संबंधी शुल्क सूची

जल संबंधी शुल्क सूची सिद्धांत मूल्य निर्धारण के आर्थिक सिद्धांतों अर्थात राजस्व सामर्थ्य, आर्थिक प्रभावोत्पादकता, साम्या और निष्पक्षता पर आधारित होने चाहिए। शुल्क संबंधी सिद्धांतों के जिन मुख्य तत्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिए वे तालिका 2.1 में दिए गए हैं:-

तालिका 2.1: जल संबंधी शुल्क के लागत घटक

मुख्य लागत	मामूली लागत
नियत लागत	▪ पानी के मीटर का मासिक किराया (सभी मीटर यूएलबी की संपत्ति है) ▪ बिल रीडिंग, बिल तैयार करना और राजस्व संग्रहण
ओ एवं एम लागत	▪ ज्यादा मात्रा में पानी इस्तेमाल कर पर दर ▪ रासायनिक लागत सहित शोधन लागत ▪ ऊर्जा लागत ▪ कार्मिक शक्ति लागत ▪ मरम्मत और अनुरक्षण लागत ▪ पानी के मीटरों की मरम्मत और बदलने पर आने वाली लागत
पूंजीगत वसूली लागत	▪ ब्याज लागत ▪ मूल्यह्रास और उपयुक्त वापसी ▪ ब्याज वापिस करना

- आर्थिक और वित्तीय निरंतरता के लिए लागत वसूली
- कार्य क्षमता के लिए वाल्यूमीट्रिक आधार और एनआरडब्ल्यू स्तर में कमी
- न्यूनतम शुल्क के साथ जीवन रेखीय आपूर्ति ताकि सामाजिक न्याय संबंधी पहलु पर ध्यान दिया जा सके और इसे शहर के निवासियों, विशेषतौर पर मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए वहनीय बनाया जा सके। जहां अलग मीटरयुक्त सिस्टम व्यावहारिक न हो वहां मीटरयुक्त सामुदायिक स्टैंड पोस्ट जैसी अन्य व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि स्पष्ट

न्यूनतम एनआरडब्ल्यू स्तर सुनिश्चित किया जा सके।

प्रयोक्ता प्रभार निर्धारित करते समय जिन लागतगत घटकों को शामिल किया जाना चाहिए उनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

2.1 जल पर प्रभार लगाना

जल संबंधी शुल्क में आदर्शत: न केवल सिस्टम के प्रचालन और अनुरक्षण की लागत अपितु पूंजीगत प्रतिस्थापन संबंधी लागत भी शामिल होनी चाहिए। तथापि, अधिकतर भारतीय शहरों और कस्बों में प्रचालन और अनुरक्षण तक की लागत वसूल नहीं की जाती है। पानी को एक अनिवार्य वस्तु माना जाता है और इसलिए इसे या तो बहुत कम दरों पर अथवा नि:शुल्क ही प्रदान करने की आशा की जाती है। निर्धारित दरों को भी प्रचलित लागतों को प्रतिबिंबित करने के लिए बार-बार संशोधित नहीं किया जाता है जिससे उत्पादन की लागत और प्रभारित शुल्क के बीच अंतराल बढ़ जाता है। अंतत: इसका परिणाम उपभोक्ताओं को घटिया सेवाओं के रूप में निकलता है। इसके अतिरिक्त, अनेक राज्यों/शहरों में उपभोक्ताओं से अतिरिक्त रूप से पानी के मीटरों (अथवा कभी-कभार मीटरों का किराया) अर्थात घर में सर्विस कनेक्शन की लागत के अतिरिक्त, की लागत पर प्रभार लगाने की प्रथा प्रचलित है। कभी-कभार यह उपभोक्ताओं को वाटर मीटर आधारित कनेक्शनों के विकल्प के लिए हतोत्साहित करता है और वे स्थिर दर आधारित कनेक्शन लगाए रखते हैं, जिसका परिणाम अंतत: स्थिर दर आधारित प्रभार के कारण घर के प्रांगण में मूल्यवान शोधित पानी की बर्बादी के रूप में निकलता है। इस प्रथा को हतोत्साहित करने की जरूरत है तथा मीटरयुक्त जलापूर्ति पर आधारित सभी घरों के सर्विस कनेक्शनों को दीर्घावधि में जल संरक्षण करने हेतु परिवर्तित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मीटर लगाने से पानी की ऑडिटिंग और रिसावों को ठीक करने तथा चोरी आदि में भी सहायता मिलती है। यह दृष्टिकोण बाहरी अशुद्धियों से जल संदूषण की रोकथाम करने में भी सहायता प्रदान करेगा जिसका परिणाम प्राय: जल जनित रोगों के रूप में निकलता है।

जलापूर्ति प्रभार तीन प्रकार से लगाए जाते हैं:

- उपभोग आधारित शुल्क मॉडल के जरिए
- स्थिर दर के जरिए
- जल कर दर के जरिए

जलापूर्ति संबंधी शुल्क शहरों के बीच और राज्यों के बीच अलग-अलग है। घरेलू और गैर-घरेलू प्रयोजन के लिए जल संबंधी शुल्क अलग-अलग होते हैं। शुल्क सामान्यत: घरेलू प्रयोजनों की तुलना में औद्योगिक और

वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अत्यधिक उच्च होना चाहिए ताकि घरेलू प्रयोजन के लिए क्रॉस सब्सिडाइजेशन शुरू किया जा सके। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूएचओ लाइफ लाइन के अनुसार 20 एलपीसीडी की न्यूनतम लाइफ लाइन सप्लाई 20 एलपीसीडी मात्र है जिस पर बिलिंग और संग्रहण की लागत का गैर-मामूली प्रभार लगाया जा सकता है। इससे जलापूर्ति के लिए भुगतान की आदत पड़ेगी और यह जल संरक्षण को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं में उचित जागरूकता लाने में भी सहायक होगा।

2.2 जल की प्रचलित शुल्क-सूची

पानी के कनेक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं (घरेलू और गैर-घरेलू)- मीटर वाले और मीटर रहित। मीटर वाले कनेक्शनों के लिए जल शुल्क उपभोग पर आधारित होता है अर्थात प्रयुक्त पानी की मात्रा के आधार पर। मीटर रहित कनेक्शन के लिए जल संबंधी शुल्क मूल लागत पर होता है (नियत धनराशि), जो प्रयुक्त जल की मात्रा से संबद्ध नहीं होता है।

(क) मीटर वाली दरें

मीटर वाले कनेक्शनों के लिए उपभोग आधारित जल दरें दो प्रकार की होती हैं:

(i) किसी माह में प्रयुक्त जल ही पूरी मात्रा के लिए एकसमान अनुमापी दर प्रति किलोलीटर (कि.ली. अर्थात 1000 लीटर)

(ii) प्रति घर के कनेक्शन के लिए प्रतिमाह प्रयुक्त पानी की उच्च मात्राओं के लिए उच्चदर प्रति कि.ली. के साथ संवर्धित ब्लॉक शुल्क (आईबीटी)/टेलीस्कोपिक शुल्क अथवा स्लैब आधारित दर, जिसमें कुछ शहरों में न्यूनतम मासिक निर्धारित प्रभार होता है। एक समान अनुमापी दर बड़े अथवा छोटे उपभोक्ताओं पर एकसमान रूप से प्रयोज्य सिंगल कनेक्शन के जरिए प्रतिमाह प्रयुक्त जल की पूरी मात्रा के लिए पानी की सिंगल दर प्रति कि.ली. है। अत:, जहां भी यह दर इस्तेमाल होती है वहां मासिक बिल प्रयुक्त जल की मात्रा के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है।

दूसरी ओर, आईबीटी कम अंतिम प्रयोक्ताओं तथा उच्च अंतिम प्रयोक्ताओं के बीच अंतर करता है और अक्सर उच्च अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा निम्न अंतिम प्रयोक्ताओं को क्रॉस-सब्सिडाइज करता है। आईबीटी में यह माना जाता है कि दरिद्रतम परिवार का इतना मासिक उपभोग होगा जो सामान्यत: फर्स्ट ब्लॉक से अधिक नहीं होगा तथा वे न्यूनतम दरों का भुगतान करेंगें। न्यूनतम ब्लॉक सामान्यत: 10 कि.ली./20 कि.ली. तक अलग-अलग है। क्रम संख्या (ii) के मामले में अधिकतर घरेलू उपभोक्ता फर्स्ट ब्लॉक में ही आएंगें जबकि अन्यों के मामले में वे द्वितीय अथवा तृतीय ब्लॉकों तक जा सकते हैं।

(ख) मीटर रहित दरें

मीटर रहित कनेक्शनों के लिए मूल दर को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये श्रेणियां इस प्रकार हैं:-

(I) फेरूल के आकार के कनेक्शन के आधार पर:

फेरूल आधारित दरें, कनेक्शन के फेरूल के आकार (अर्थात पाइप के व्यास) पर निर्भर करती हैं। अधिकतर घरेलू कनेक्शनों का व्यास केवल आधा इंच (1/2') होता है; बड़े वाले आकार के फेरूल कनेक्शन सामान्यत: अपार्टमेंट ब्लॉकों जैसे बड़े-बड़े उपभोक्ताओं द्वारा लिए जाते हैं।

(II) घर में नलों की संख्या के आधार पर:

नल आधारित दरें, घर में नल की संख्या पर निर्भर करती हैं। सामान्यत: पहले नल के लिए दर अतिरिक्त नलों की दरों की अपेक्षा उच्च होती हैं। ये दरें फेरूल आधारित दरों की अपेक्षा नमूनाकृत शहरी केन्द्रों में सामान्यत: कम इस्तेमाल होती हैं।

(III) निर्धारित मासिक मूल दर:

निर्धारित मूल दर, चाहे सालाना अथवा कम अंतराल पर प्रभारित हो, पानी पर प्रभार लगाने का सर्वाधिक आम तरीका है (मीटर रहित कनेक्शनों के लिए)। इस मूल दर का आधार स्पष्टतया वर्णित नहीं है अपितु यह फेरूल के आकार अथवा आपूर्ति की अवधि अथवा स्थानीय प्राधिकारियों को ज्ञात किसी अन्य आधार पर निर्भर हो सकती हैं।

(IV) संपत्ति के वार्षिक दर योग्य मूल्य के आधार पर एक पारदर्शी मासिक मूल दर:

कुछ शहरी केन्द्रों में प्रभारित जलकर संपत्ति घर की कतिपय प्रतिशतता है। मीटर रहित कनेक्शनों के लिए यह एआरवी आधारित प्रभार शहरी केन्द्रों में अत्यधिक आम नहीं है। तथापि, कुछ शहरी केन्द्रों में एक मूल दर प्रभारित की जाती है लेकिन जलकर कहलाती है।

(V) भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर:

कुछ शहरों/कस्बों में प्रति घर भूखंड क्षेत्रफल के आधार पर मूल जल शुल्क (मीटर के कनेक्शन के बगैर) भी प्रभावी हैं जैसाकि लगभग नीचे दी गई तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: भूखंड के क्षेत्रफल पर आधारित शुल्क

1	भूखंड का क्षेत्रफल < 100 वर्ग गज (900 वर्ग फुट) अथवा बिल्ट-अप क्षेत्रफल <500 वर्ग फुट	60/- रुपए प्रतिमाह/कनेक्शन
2	भूखंड का क्षेत्रफल >100 वर्ग गज और <200 वर्ग गज अथवा बिल्ट-अप क्षेत्रफल <1000 वर्ग फुट	150/- रुपए प्रतिमाह/कनेक्शन
3	भूखंड का क्षेत्रफल > 200 वर्ग गज अथवा बिल्ट-अप क्षेत्रफल <1500 वर्ग गज	250/- रुपए प्रतिमाह/कनेक्शन
4	भूखंड का क्षेत्रफल> 300 वर्ग गज अथवा बिल्ट-अप क्षेत्रफल >1500 वर्ग फुट	400/- रुपए प्रतिमाह/कनेक्शन

(ग) गैर-घरेलू प्रयोजनार्थ शुल्क

कुछ शहरों में गैर-घरेलू प्रयोजनार्थ शुल्क एक निष्पक्ष रूप से विस्तृत तरीके से विभिन्न प्रकार के गैर घरेलू प्रयोजनों के बीच अंतर करते हैं तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न जल दरों का प्रभार लगाते हैं। बड़े-बड़े शहरों के लिए शुल्क की अनुसूची प्राय: प्रयोजनों तथा कार्यकलाप के पैमाने के सविस्तार श्रेणीकरण का अनुसरण करती है।

जल क्षेत्र के अंदर क्रॉस-सब्सिडी का भी प्रावधान है जिसके द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा रियायत दी जाती है। क्रॉस-सब्सिडी की सीमा अलग-अलग होती है हालांकि एक औसत औद्योगिक उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता की तुलना में 2 से 10 गुणा ज्यादा शुल्क का भुगतान करता है।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अनुमोदित विभिन्न डीपीआर में सांस्थानिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन संबंधी शुल्क का विश्लेषण किया गया है। यह देखा जाता है कि 13 शहरों/कस्बों में से, 8 कस्बे औद्योगिक वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए घरेलू शुल्क का लगभग 1.5 से 2 गुणा प्रभारित करते हैं। अन्य 5 शहरों में औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्रभार घरेलू शुल्क के 3 से 5 गुणा के बीच भिन्न-भिन्न है।

2.3 प्रस्तावित मॉडल शुल्क सूची

(क) मीटर वाले कनेक्शनों की दरें

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 19 शहरों में प्रस्तावित जल शुल्क के विश्लेषण के आधार पर 'वोल्यूमीट्रिक आधार' पर एक मॉडल शुल्क ढांचा तैयार किया गया है। इस प्रस्तावित मॉडल की दरें केवल सांकेतिक है और ये जमीनी स्रोत आधारित जलापूर्ति, भू-जल आधारित जलापूर्ति, उच्च हेड पम्पिंग आधारित जलापूर्ति और स्रोत की दूरी, उपचार की लागत तथा विद्युत प्रभार इत्यादि जैसे कारकों पर निर्भर करते हुए शहर-दर-शहर भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। तथापि, प्रत्येक शहर में परियोजना शुरू होने तथा इसके पूरा होने के तुरन्त बाद

ऑपरेशन और अनुरक्षण प्रभार तथा इसके लाभकारी कार्यकाल की समाप्ति होने पर परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन हेतु पूंजीगत लागत को पूर्णतया वसूल करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर घरेलू और गैर-घरेलू प्रयोजनों के साथ-साथ वृद्धिशील ब्लॉक शुल्क (आईबीटी) संबंधी मॉडल शुल्क सूची निम्नलिखित हैं:

घरेलू प्रयोजन

मीटर रीडिंग, बिलिंग और संग्रहण के लिए न्यूनतम प्रभार जलापूर्ति के कनेक्शनों वाले प्रत्येक घर से 30.00/- रुपए प्रतिमाह की दर से वसूले जाने की आवश्यकता है। प्रति घर वोल्यूमीट्रिक खपत के आधार पर जल शुल्क (मीटर कनेक्शन) तालिका 2.3 के अनुसार प्रभारित किया जा सकता है।

तालिका 2.3: वोल्यूमीट्रिक शुल्क (वृद्धिशील ब्लॉक शुल्क) घरेलू कनेक्शन

* उपर्युक्त प्रभारों को बीपीएल परिवारों के लिए 15 किमी/माह अधिकतम पानी इस्तेमाल करने वालों के लिए 50 प्रतिशत आदि तक रियायत दी जाती है। किसी भी हालत में जलापूर्ति किसी भी घर में पूर्णतया नि:शुल्क की जानी चाहिए ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके। किसी भी कारणवश जिन घरों में कनेक्शन लगाना व्यावहारिक नहीं है वहां भी स्टैंड पोस्ट आपूर्ति के मीटर को भी नोट करना चाहिए और उपर्युक्तानुसार उपयुक्तता: इस पर प्रभार लगाया जाना चाहिए।

** ये दरें सांकेतिक मात्र हैं तथा शुरूआत में कम से कम ओएंडएम प्रभारों की पूर्णतया वसूली के लिए ये शहर-दर-शहर भिन्न हो सकती हैं।

^ एमओयूडी द्वारा प्रकाशित शहरी जलापूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी सेवाओं के उन्नयन हेतु एडवाइजरी नोट में 0-6 किली/प्रतिमाह प्रति घर की न्यूनतम जीवनरेखीय आपूर्ति का उल्लेख किया गया है।

जल की खपत एक स्लैब से दूसरी उच्च स्लैब में पहुंचने पर पूरी खपत पर जल संरक्षण के लिए उच्च स्लैब की दरें ही वसूली जाएंगी।

- तथापि, प्रयोक्ता प्रभार की समीक्षा तथा वर्ष 2010 में मूल्य-निर्धारण के आर्थिक सिद्धांतों के समावेशन के संबंध में प्रस्तुत टीईआरआई रिपोर्ट के अनुसार नाममात्र मूल्य के साथ जीवन रेखा खपत के रूप में 5-10 किली/एचएच/माह के साथ 3 स्लैबों का प्रस्ताव रखा गया है। ओएंडएम लागतों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए 25 किली/माह तक खपत के लिए दूसरी (सेकेंड) स्लैब और ऋण अथवा पूंजीगत निवेश पर ब्याज वसूल करने के

लिए प्रतिशत एवं ओएंडएम लागत पर प्रभारणीय 25 किली/माह से अधिक की खपत के लिए तीसरी (थर्ड) स्लैब।

गैर-घरेलू प्रयोजन

औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित शुल्क सूची घरेलू शुल्क-सूची से लगभग दुगुनी रखी जा सकती है। तथापि, यह शहर-दर-शहर उपयुक्तता: भिन्न-भिन्न हो सकती है ताकि इसमें क्रॉस सब्सिडी शामिल की जा सके और नामोदिष्ट स्थान पर स्थित नहीं होने वाले तथा ऐसे अन्य कारणों वाले उद्योगों को हतोत्साहित किया जा सके। गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिए शुल्क के संबंध में घरेलू प्रयोजन की उच्चतम दर के गुणज में दरें प्रभारित की जा सकती है। यह जीवन रेखा खपत संबंधी रियायत और बीपीएल परिवारों हेतु रियायत में सहायक होगा। औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित शुल्क तालिका 2.4 के अनुसार रखा जा सकता है:

तालिका 2.4: गैर घरेलू शुल्क

* जल का विशेष मानकों के अनुरूप शोध करने के उपरांत इसके पुन:चक्रण और पुन: प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी गैर-पेय प्रयोजनों के लिए यथा प्रस्तावित 50 प्रतिशत दरों पर आपूर्ति की जाए।

सांस्थानिक मांग के मामले में खपत की प्रकृति घरेलू प्रयोजनों के समान होने पर ही शुल्क घरेलू दरों के अनुसार निर्धारित किए जाए।

(ख) मीटर रहित दरें#

मीटर रहित कनेक्शनों के लिए नियत दरों को पांच श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये श्रेणियां निम्नलिखित हैं :-

(i) फेरूल के आकार के आधार पर कनेक्शन : (15 मिमी-50/-रुपए/माह, 20 मिमी-75/-रुपए/माह) की दर से।

(ii) घर में नलों की संख्या के आधार पर ; (1-3 नल 80/-रुपए/माह, 4-7 नल 130/-रुपए/माह, 8-12 नल 225/-रुपए/माह) की दर से।

(iii)नियत मासिक मूल दर; (60-100 प्रति माह) की दर से।

(iv)संपत्ति के वार्षिक किराया मूल्य (एआरवी) के आधार पर परिवर्तनीय मासिक मूल दर (एआरवी का 12.5 प्रतिशत) की दर से।

(v) तालिका 2.5 में यथाप्रस्तावित भूखंड के क्षेत्रफल की दर से।

ये दरें सांकेतिक हैं और शुरूआत में कम से कम ओएंडएम प्रभारों की पूर्ण वसूली के लिए ये शहर-दर-शहर भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

@ मीटर रहित कनेक्शनों के मामले में जब तक मीटरयुक्त प्रणाली स्थापित नहीं की जाती, तब तक शुल्क में उपयुक्त संशोधन के साथ राजस्व का मौजूदा मॉडल जारी रखा जा सकता

है ताकि कम से कम स्कीम के ओएंडएम के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित किया जा सके।

तालिका 2.5: भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर शुल्क

मीटर रहित कनेक्शनों के मामले में कनेक्शनों की जांच समय-समय पर की जा सकती है क्योंकि जल संवितरण नेटवर्क में सर्वाधिक नुकसान घर में लगे कनेक्शनों में होता है। घर के मौजूदा सेवा कनेक्शनों की उपयुक्त पाइपों से बदलवाने सहित गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) को कम करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं जैसाकि नागपुर की 24x7 जलापूर्ति और कर्नाटक में विश्व बैंक की सहायता से हुबली और धारवाड़ कस्बों में सफलतापूर्वक किया गया है।

2.4 शुल्क संशोधन

शुल्क संशोधन पारदर्शी तरीके से नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति आदि की वजह से बदलाव करने पर इसे वार्षिक आधार पर शुल्क में आने देना चाहिए।

3.0 सीवरेज संबंधी शुल्क

24 कस्बों में मौजूदा और प्रस्तावित सीवरेज शुल्क, जिनके संबंध में जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत डीपीआर अनुमोदित हो चुकी है, की जांच की जा चुकी है तथा टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:-

वस्तुत: तीन प्रकार का शुल्क ढांचा है अर्थात जल कर की प्रतिशतता, संपत्ति के क्षेत्रफल पर आधारित प्रभार तथा कनेक्शन/शौचालयों की संख्या पर आधारित प्रभार। प्रस्तावित शुल्क ढांचें में विभिन्नता की वजह से टाइप1 पर आधारित शुल्क अर्थात जल शुल्क की प्रतिशतता पर उपयुक्त सीवरेज शुल्क तैयार करने पर विचार चल रहा है।

I. 25-60 प्रतिशत जल प्रभारों की रेंज में सीवरेज शुल्क 9 कस्बों में है तथा 4 कस्बे वोल्यूमीट्रिक आधार पर शुल्क वसूल रहे हैं जो जल शुल्क की प्रतिशतता के समान ही है।

II. पंजाब और पेरूंगुडी के 2 कस्बों में सीवरेज शुल्क घर के क्षेत्रफल के अनुसार हैं। यह 6-8 प्रति वर्गमीटर अलग-अलग है। 2 कस्बे संपत्तिकर के 1 से 4 प्रतिशत तक की दर पर

वार्षिक संपत्ति कर की प्रतिशतता के अनुसार सीवरेज शुल्क वसूलते हैं। यह संपत्ति के क्षेत्रफल के आधार पर प्रभारों के समान है।

III. 4 कस्बे शौचालयों की सीटों/सीवर कनेक्शनों की संख्या के आधार पर प्रभार वसूलते हैं जो प्रति शौचालय सीट के लिए 5-6/-रुपए तक और प्रति कनेक्शन के लिए प्रति माह 75-200/- रुपए तक भिन्न-भिन्न है। एक कस्बा मासिक आधार पर नियत दर वसूलता है।

उपर्युक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जल प्रभारों की प्रतिशतता के संबंध में शुल्क संबंधी प्रभार बेहतरी से वसूल किए जाए। सीवरेज सिस्टम सीवर में जाने वाली जलापूर्ति की प्रतिशतता के आधार पर डिजाइन किया जाता है। संपत्ति के क्षेत्रफल/कर तथा कनेक्शनों/शौचालयों की संख्या के आधार पर नियत कर पर आधारित शुल्क सूची वांछनीय नहीं है। तथापि, जब तक पानी के कनेक्शन पर मीटर नहीं लग जाते तब तक शुरू में एक नियत दर स्वीकार की जा सकती है।

उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में यथावर्णित प्रस्तावित सीवरेज सिस्टम शुल्क निकालने के लिए इस मामले में अन्य संबद्ध दस्तावेजों की जांच कर ली गई है जैसे टीईआरआई तथा एचपीईसी रिपोर्टें।

3.1 सीवरेज सिस्टम के लिए प्रस्तावित शुल्क

(क) मीटरयुक्त कनेक्शनों के लिए दरें

सामान्यत: एक व्यावहारिक सिस्टम के लिए पानी के इस्तेमाल के अनुसार जल शुल्क के 50-70 प्रतिशत तक सीवर संबंधी शुल्क नियत करना उचित है। 50 प्रतिशत जल शुल्क के रूप में प्रस्तावित सीवरेज शुल्क पर तालिका 3.1 में विचार किया गया हैं।

तालिका 3.1: घरेलू सीवरेज शुल्क

@ बिलिंग और संग्रहण संबंधी न्यूनतम प्रभारों पर 30/- रुपए प्रतिमाह की दर से जल शुल्क पर पहले ही विचार किया जाता है।

* उपर्युक्त प्रभारों में बीपीएल परिवारों के लिए 20 किली./माह की खपत तक पानी के उपयोग/सीवरेज के लिए 50 प्रतिशत तक रियायत दी जा सकती है।

** दरें सांकेतिक हैं तथा शुरू में कम से कम ओएंडएम प्रभारों की पूर्णतया वसूली के लिए ये शहर-दर-शहर भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

(ख) मीटर रहित कनेक्शन की दर#

मीटर रहित कनेक्शनों के लिए नियत दरों को पांच श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

(i) फेरूल के आकार के कनेक्शन के आधार पर;

(ii) घर में नलों की संख्या के आधार पर;

(iii) घर में शौचालयों की सीटों की संख्या के आधार पर;

(iv) एक नियत मासिक मूल दर; और

(v) संपत्ति के वार्षिक किराए योग्य मूल्य (एआरवी) के आधार पर परिवर्तनीय मासिक नियत दर।

मीटर रहित कनेक्शनों के मामले में संपत्ति के निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर नियत प्रभार लिए जा सकते हैं। ये नीचे तालिका 3.2 में यथावर्णित 50-200/- रुपए प्रतिमाह तक भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

तालिका 3.2: भूखंड के क्षेत्रफल पर आधारित शुल्क

* उपर्युक्त प्रभारों में बीपीएल परिवारों के लिए 50 प्रतिशत तक रियायत दी जा सकती है।

दरें सांकेतिक है तथा शुरू में कम से कम ओएंडएम प्रभारों की पूर्णतया वसूली के लिए ये शहर-दर-शहर भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

3.2 शुल्क संशोधन

शुल्क संशोधन पारदर्शी तरीके से नियमित अंतराल पर किए जाने चाहिए। मुद्रास्फीति की वजह से किए जाने वाले परिवर्तनों को वार्षिक आधार पर शुल्क में शामिल किया जाना चाहिए।

4. उदाहरणः कुछ शहरों में प्रचलित प्रयोक्ता प्रभार

4.1 सूरत शहर में प्रयोक्ता प्रभार और पानी के मीटर संबंधी नीति (दिनांक 1-4-2013 से प्रभावी)

समय सीमा के अनुसार पूर्ण ओएंडएम प्रभारों की वसूली हेतु जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत लक्षित सुधार हासिल करने के एक भाग के रूप में नए प्रयोक्ता प्रभार और पानी के मीटर संबंधी नीति दिनांक 01-04-2008 से प्रभावी है। प्रयोक्ता प्रभारों की इस नीति की अपेक्षानुसार समीक्षा और संशोधन किया जाता है। तदनुसार आम मंडल के दिनांक 06-02-2013 के संकल्प के अनुसार बजट वर्ष 2013-14 के लिए "पानी और सीवरेज प्रभार" निर्धारित किए जाते हैं।

☞ **दिनांक 01-04-2008 से प्रभावी पानी के मीटर की नई नीति के अनुसार:**

1. 15 मिमी. (1/2") व्यास से ज्यादा सभी रिहायशी और धार्मिक प्रयोजनार्थ पानी के कनेक्शनों में अनिवार्य: मीटर लगाया जाएगा।
2. रिहायशी और धार्मिक प्रयोजनार्थ 15 मिमी. (1/2") व्यास से अधिक दिनांक 01-04-2008 से पहले लगाए गए पानी के मौजूदा कनेक्शनों को मीटर युक्त कनेक्शनों में परिवर्तित किया जाएगा।
3. दिनांक 01-04-2008 से पहले वाले पानी के मीटर संबंधी नीति के अनुसार ½" आकार से बड़े आकार के सभी गैर-रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शनों में पहले ही मीटर लगा दिया गया है।

☞ सूरत नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत रिहायशी और धार्मिक प्रयोजनार्थ संपत्तियों के लिए सभी 15 मिमी (1/2") व्यास वाले पानी के कनेक्शनों पर नीचे तालिका 1-क में यथोल्लिखित प्रति परिवार वार्षिक "पानी और सीवरेज प्रभार" लगाया जाएगा।

तालिका 1 क: रिहायशी और धार्मिक प्रयोजनार्थ

☞ **शहर के नए आमेलित क्षेत्र के लिए पानी और सीवर संबंधी प्रभार:**

- "वाटर जोन" के रूप में घोषित किया गया शहर का वह क्षेत्र, जहां एसएमसी स्टैंड-पोस्टों तथा टैंकरों द्वारा जलापूर्ति करता है और जहां जीडब्ल्यूएसएसबी अथवा पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत अथवा नगर पालिका जलापूर्ति करती है, वहां सभी रिहायशी और गैर रिहायशी संपत्तियों पर उपयुक्त क्षेत्र में नई जलापूर्ति और जल-निकासी होने तक उपर्युक्तानुसार 50 प्रतिशत जल और सीवरेज प्रभार लगाया जाएगा।
- एसएमसी का ऐसा क्षेत्र, जिसे न तो "वाटर जोन" के रूप में घोषित किया गया है और न ही वहां एसएमसी/जीडब्ल्यूएसएसबी/ ग्राम पंचायत/नगर पालिका द्वारा जलापूर्ति की जाती है, वहां कोई भी जल अथवा सीवरेज प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- कृषि योग्य भूमि पर जल और सीवरेज प्रभार लागू नहीं होंगें।
- फिलहाल जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहर के नए आमेलित क्षेत्रों के लिए नई जलापूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना 24x7 जलापूर्ति हेतु तैयार की गई है। अत:, इस जलापूर्ति योजना में होने वाले पूरे ओएंडएम के खर्चों की वसूली हेतु सुधार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि जल की सभी प्रकार की खपत के लिए 0.5" आकार सहित पानी के सभी कनेक्शनों पर मीटर लगाए जाएं। एसएमसी द्वारा सभी उपभोक्ता कनेक्शनों पर पानी के मीटर लगाए जाएंगें लेकिन इस मीटर को खरीदने तथा इसके अनुरक्षण पर होने वाले व्यय की प्रर्ति की वसूली या उपभोक्ताओं से अथवा उपभोक्ताओं से पानी के मीटर के किराए के रूप में की जाएगी।
- रिहायशी और धार्मिक प्रयोजन के लिए तालिका-2 के अनुसार तथा सभी रिहायशी कनेक्शनों के लिए तालिका 3 के अनुसार "पानी और सीवरेज प्रभार" लागू होंगें लेकिन ये नई 24x7 जलापूर्ति और जल निकासी प्रणाली पूरी तरह से उस में चालू हो जाने के उपरांत लागू होंगें।
- जब तक 24x7 आधार पर नई जलापूर्ति योजना चालू नहीं होती तब तक सीमित अवधि के लिए उपर्युक्त 1-क तालिका के अनुसार "पानी और सीवरेज प्रभार" लागू होंगें।

☞ **15 मिमी (1/2") वाले आकार के पानी आधारित वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनार्थ कनेक्शन के लिए:**

o दिनांक 01-04-2012 से प्रभावी 15 मिमी (1/2") आकार के सभी नए जल आधारित वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शन पर अनिवार्यत: मीटर लगाए जाएंगें तथा वाल्यूमीट्रिक आधारित प्रभार तालिका-3 के अनुसार लागू होंगें।

o सभी मौजूदा जल आधारित वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शनों पर पानी के मीटर लगाने तक इन पर "पानी और सीवरेज प्रभार" लगाया और मौजूदा कनेक्शनों पर वाटर मीटर लगाने के उपरांत इन पर तालिका-3 के अनुसार वोल्यूमीट्रिक आधारित प्रभार लगाया जाएगा।

गैर रिहायशी प्रयोजनार्थ

तालिका -1-ख

☞ **15 मिमी (1/2") आकार से बड़े सभी प्रकार के पानी के कनेक्शनों के लिए प्रति मीटर के अनुसार वोल्यूमीट्रिक आधार**

o समय-सीमा के अनुसार 100 प्रतिशत मीटर लगाने का लक्ष्य हासिल करने तथा पानी की बर्बादी रोकने के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए और जल संरक्षण के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत लक्षित सुधार हासिल करने के एक भाग के रूप में नए प्रयोक्ता प्रभार और वाटर मीटर नीति दिनांक 01-04-2008 से प्रभावी है। तदनुसार, बजट वर्ष 2012-13 के लिए "जल और सीवरेज प्रभार" नियत किए जाते हैं तथा ये निम्नानुसार सभी प्रकार की खपत पर लागू होंगे।

o सभी रिहायशी और धार्मिक प्रयोजनार्थ 15 मिमी (1/2") आकार के पानी के कनेक्शनों के लिए "पानी और सीवरेज प्रभार" नीचे दी गई तालिका-2 के अनुसार लागू होंगें।

रिहायशी और धार्मिक प्रयोजनार्थ के पानी व सीवरेज प्रभार: 2012-13

(तालिका-2)

- सभी रिहायशी और धार्मिक प्रयोजनार्थ 15 मिमी (1/2") आकार के पानी के कनेक्शनों के लिए "पानी और सीवरेज प्रभार" नीचे दी गई तालिका-2 के अनुसार लागू होंगें।

गैर रिहायशी प्रयोजनार्थ जल और सीवरेज प्रभार: 2013-14 (तालिका-3)

प्रकार	क्र. सं.	खपत का प्रयोजन	वर्ष 2008-2009 में प्रति 1000 लीटर प्रभार (रुपए में)	वर्ष 2013-2014 में प्रति 1000 लीटर प्रभार (रुपए में)
(क)	1	लोक सांस्थनिक सेवाओं जैसे बस, रेलवे, गुजरात विद्युत बोर्ड, सूरत बिजली कंपनी बैंकों के परिसर	18.00	20.00
	2	पावर लूम/हीरा/जरी-कसाब/कार्यशाला जैसे आम (गैर-पानी वाले) उद्योग	12.00	15.00
	3	गैर-वाणिज्यिक, वैयक्तिक विनिर्माण प्रयोजनार्थ पानी के अस्थाई कनेक्शन	15.00	20.00
(ख)	1	सामाजिक समारोहों के लिए प्रयुक्त हालों और वाडी के लिए	12.00	15.00
	2	औषधालय, अस्पताल, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम, औषधालय कैमिस्ट से संबद्ध चिकित्सीय सेवाओं जैसी संपत्तियां	12.00	14.00
	3	फोटो स्टूडियो	15.00	14.00
	4	धोबी घाट	12.00	15.00
	5	निजी स्विमिंग पूल	22.50	32.00
	6	जिमखाना और स्पोर्ट्स क्लब	22.50	32.00
	7	सभी प्रकार के रेस्त्रां और कैंटीन (चाय/स्नैक्स/फर्सान की दुकानों सहित)	15.00	20.00
	8	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नर्सरी, प्रतिरोपण जैसे कार्यकलाप करने हेतु प्रयुक्त संपत्तियां	12.00	25.00
	9	निजी/मर्यादित कंपनी हेतु रिहायशी प्रयोजनार्थ प्रयुक्त संपत्तियां	15.00	20.00
	10	अतिथि घर	22.50	27.00
(ग)	1	मृदु पेय/सोडा उत्पादक संगठन	22.50	27.00
	2	आइसक्रीम/बर्फ उत्पादक संगठन	22.50	27.00
	3	शीत भंडारण संयंत्र	22.50	27.00
	4	सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट	22.50	27.00
	5	सिनेमा थियेटर	22.50	27.00
	6	फिल्म प्रोसेसिंग/साउंड स्टूडियो/फिल्म प्रयोगशाला	22.50	27.00
	7	आरसीसी/पीसीसी पदार्थ और मार्बल मोजाइक टाइलें उत्पादक-कार्य।	22.50	27.00

- **विभिन्न प्रयोजन और आकार (0.5" आकार से ऊपर) हेतु लागू न्यूनतम उपयोगकर्ता प्रभार निम्नानुसार होगाः**

क्र. सं.	कनेक्शन साइज (इंच में)	मासिक न्यूनतम उपभोक्ता प्रभार (रु. में)			
		शहर के आंतरिक क्षेत्र के लिए		शहर के बाहरी क्षेत्र के लिए	
		रिहाएशी और धार्मिक प्रयोजनार्थ	गैर-रिहाएशी और धार्मिक प्रयोजनार्थ	रिहाएशी और धार्मिक प्रयोजनार्थ	गैर-रिहाएशी और धार्मिक प्रयोजनार्थ
1	0.5"	180	360	420	840
2	3/4"	270	540	765	1530
3	1.0"	675	1350	1680	3360
4	1.5"	1350	2700	3000	6000
5	2.0"	2093	4185	4560	9120
6	2.5"	3375	6750	6600	13200
7	3"	5130	10260	11400	22800
8	4"	10125	20250	22800	45600
9	6"	16875	33750	54000	108000
10	8"	27450	54900	87000	174000
11	9"	37800	75600	120000	240000
12	10"	50625	101250	150000	300000
13	12"	84375	168750	225000	450000

4.2 बैंगलौर जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अंतर्गत प्रदर्शन क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं हेतु अनुमापी शुल्क

नॉन-डोमेस्टिक और वाणिज्यिक/औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए शुल्क दो बार और संबंधित स्लैब में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए चार बार शुल्क है।

दिल्ली का बिल

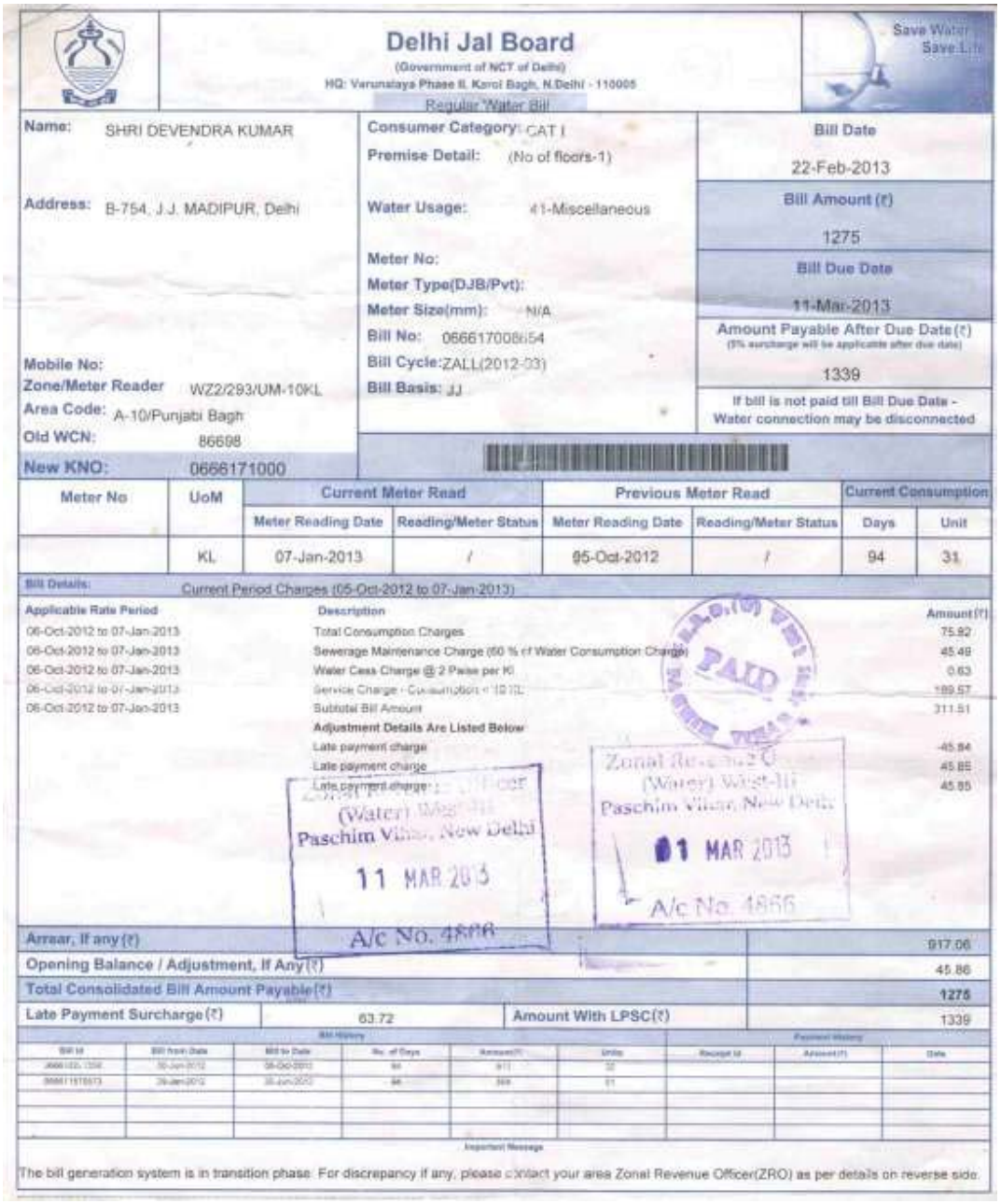

Delhi Jal Board
(Government of NCT of Delhi)
HQ: Varunalaya Phase II, Karol Bagh, N.Delhi - 110005
Regular Water Bill

Save Water Save Life

Name: SHRI DEVENDRA KUMAR

Address: B-754, J.J. MADIPUR, Delhi

Mobile No:
Zone/Meter Reader: WZ2/293/UM-10KL
Area Code: A-10/Punjabi Bagh
Old WCN: 86698
New KNO: 0666171000

Consumer Category: CAT I
Premise Detail: (No of floors-1)
Water Usage: 41-Miscellaneous
Meter No:
Meter Type(DJB/Pvt):
Meter Size(mm): N/A
Bill No: 066617008654
Bill Cycle: ZALL(2012-03)
Bill Basis: JJ

Bill Date: 22-Feb-2013
Bill Amount (₹): 1275
Bill Due Date: 11-Mar-2013
Amount Payable After Due Date (₹) (5% surcharge will be applicable after due date): 1339
If bill is not paid till Bill Due Date - Water connection may be disconnected

Meter No	UoM	Current Meter Read		Previous Meter Read		Current Consumption	
		Meter Reading Date	Reading/Meter Status	Meter Reading Date	Reading/Meter Status	Days	Unit
	KL	07-Jan-2013	/	05-Oct-2012	/	94	31

Bill Details: Current Period Charges (05-Oct-2012 to 07-Jan-2013)

Applicable Rate Period	Description	Amount(₹)
06-Oct-2012 to 07-Jan-2013	Total Consumption Charges	75.82
06-Oct-2012 to 07-Jan-2013	Sewerage Maintenance Charge (60 % of Water Consumption Charge)	45.49
06-Oct-2012 to 07-Jan-2013	Water Cess Charge @ 2 Paise per Kl	0.63
06-Oct-2012 to 07-Jan-2013	Service Charge - Consumption < 10 KL	189.57
06-Oct-2012 to 07-Jan-2013	Subtotal Bill Amount	311.51
	Adjustment Details Are Listed Below	
	Late payment charge	-45.84
	Late payment charge	45.85
	Late payment charge	45.85

PAID

Zonal Revenue Officer (Water) West-III Paschim Vihar, New Delhi 11 MAR 2013 A/c No. 4866

Zonal Revenue Officer (Water) West-III Paschim Vihar, New Delhi 01 MAR 2013 A/c No. 4866

Arrear, If any (₹)	917.06
Opening Balance / Adjustment, If Any (₹)	45.86
Total Consolidated Bill Amount Payable (₹)	1275
Late Payment Surcharge (₹) 63.72 — Amount With LPSC (₹)	1339

Bill History						Payment History		
Bill Id	Bill from Date	Bill to Date	No. of Days	Amount(₹)	Units	Receipt Id	Amount(₹)	Date
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

Important Message

The bill generation system is in transition phase. For discrepancy if any, please contact your area Zonal Revenue Officer(ZRO) as per details on reverse side.

4.3 हैदराबाद मैट्रो जलापूर्ति और सीवरेज (एचएमडब्ल्यूएसएसबी) बोर्ड के अंतर्गत शुल्क-सूची

एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने जल और सीवरेज उपकर 2002 का व्यापक संशोधित शुल्क लगाया है और बाद में इसे 200 किली. से कम खपत वालों के लिए डिफरेंशियल स्लैब दर शुरू करके वर्ष 2004 में तर्कसंगत बना दिया गया था। नए शुल्क में बोर्ड को 52 करोड़ रुपए मासिक की धनराशि की अपनी प्रचालन और अनुरक्षण लागत की पूर्ति पर जोर दिया गया, इस प्रकार अब शुल्क का पुनर्गठन अनुमोदित हो गया है। इस शुल्क के संशोधन की वजह से एचएमडब्ल्यूएसएसबी पूरी प्रचालन और अनुरक्षण लागत की पूर्ति कर सकता है।

पुनर्गठित शुल्कों की मुख्य विशेषताएं:

बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क दिनांक एक (1) दिसम्बर, 2011 से लागू होंगें। शुल्क का श्रेणीवार पुनर्गठन घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक डिफरेंशियल मैट्रिक्स तथा डिफरेंशियल शुल्क दरों के लिए अपरिहार्य है।

घरेलू श्रेणी:

घरेलू श्रेणी के प्रयोक्ताओं के लिए 0-15 किली की मलिन बस्ती और आधार दर की मौजूदा आम दर अलग है। तथापि, 15 किली प्रति केन की न्यूनतम स्लैब पर मलिन बस्तियों के लिए 30 प्रतिशत कम की रियायती दर अनुमोदित है।

I) आधार स्लैब (0-15 किली) से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले स्लैब में 200 किली मात्र तक टेलीस्कोपिक लाभ देते हुए उच्चतर दर के अनुपात में प्रभार लगाया जाएगा।

II) 201 किली और उससे ज्यादा स्लैब की वसूली मूल दर पर प्रयुक्त पानी की पूरी मात्रा (ईक्यू) पर प्रभारित की जाएगी

वाणिज्यिक श्रेणी:

आधार स्लैब (0-15) किली के लिए न्यूनतम दर वसूली जाएगी।

औद्योगिक श्रेणी:

(0-15) किली के आधार स्लैब के लिए 15 किली प्रति कैन के लिए न्यूनतम दर पानी की उत्पादन लागत पर प्रभारित होगी।

बल्क और एमएसबी

क. बहु-मंजिला इमारतों के लिए फ्लैट के लिए न्यूनतम 9 किली प्रतिमाह प्रभार वसूला जाता है। बल्क के लिए सम्मत मात्रा तक के लिए 10/- रुपए तथा सम्मत मात्रा से अधिक के लिए 40/-रुपए जीएचएमसी क्षेत्र से वसूला जाता है और 35 प्रतिशत सीवरेज उपकर वसूला जा रहा है। जीएचएमसी से बाहर बल्क के लिए 13.50/- रुपए/किली सम्मत मात्रा के लिए तथा 54/-रुपए/किली सम्मत मात्रा से ज्यादा के लिए वसूला जाता है और सीवरेज उपकर नहीं लगाया जाएगा। वाणिज्यिक, औद्योगिक (जल आधारित) इकाइयों से जीएचएमसी तथा जीएचएमसी से बाहर के क्षेत्रों में क्रमश: 100/-रुपए तथा 120/-रुपए प्रति किली वसूला जाता है। पंचायत/ म्यूनिसिपेलिटी के लिए सम्मत मात्रा के लिए 10/- रुपए प्रति किली तथा सम्मत मात्रा से ज्यादा के लिए 40/-रुपए प्रति किली सीवरेज उपकर के बगैर वसूला जाता है।

ख. घरेलू इस्तेमाल हेतु टैंकर आपूर्ति 5 किली टैंकर के लिए 400 तथा गैर-घरेलू प्रयोजनार्थ 5 किली टैंकर के लिए 515/- रुपए (वाणिज्यिक/औद्योगिक) की दर से वसूला जाता है।

ग. अपने प्रांगण में सीवरेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) लगवाने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहन देने के लिए सीवरेज के लिए लगाए जाने वाले उपकर में अधिकतम 50 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।

विभिन्न श्रेणियों के लिए शुल्क सूची

(1) घरेलू श्रेणी

2) वाणिज्यिक श्रेणी

वर्तमान में		संशोधित			
स्लैब (किलो लीटर प्रति माह में)	**जल प्रभार (रु. में)**	**स्लैब (किलो लीटर प्रति माह में)**	**जल प्रभार (रु. में)**	**सीवरेज उपकर प्रभार**	
0 15	6 00	0 15	25 00	35 %	जल मांग अधिक
16 30	8 00	16 100 (जीएचएमसी के अंतर्गत)	40 00		
31 50	15 00				
51 100	20 00				
101 200	25 00	101 200 (जीएचएमसी के अंतर्गत)	60 00		
200 पूर्ण मात्रा से ऊपर	35 00	200 से ऊपर (जीएचएमसी के अंतर्गत) (पूर्ण मात्रा)			
जल आधारित इकाई (पूर्ण मात्रा)	60 00	जल आधारित इकाई (जीएचएमसी के अंतर्गत) (पूर्ण मात्रा)	100 00		

बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट परिसर(रों) (घरेलू) के लिए रु. 10/- प्रति के.एल. की निम्नतम दर पर न्यूनमत 9 के.एल. प्रति फ्लैट प्रति माह प्रभार्य होगी और इस प्रकार जल प्रभारों के लिए प्रति फ्लैट 90/- रु. प्रति माह आता है; जल प्रभारों पर @35% सीवरेज उपकर (सेस) प्रभारिक किया जाएगा; प्रति फ्लैट 121.50 रु. प्रति माह न्यूनतम मासिक प्रभार होंगे।

क. निःशुल्क टैंकरों के लिए टैंकर मालिकों को रु. 200/- प्रति ट्रिप/या विद्यमान 5 के.एल. की जल आपूर्ति रु. 160/- प्रति 5 के.एल. किराया प्रभार का भुगतान।

ख. भुगतान ट्रिप्स के लिए टैंकर मालिकों को रु. 225/- प्रति ट्रिप/विद्यमान रु. 190/- प्रति 5 के.एल. जल आपूर्ति से के.एल. के लिए किराया प्रभार का भुगतान।

ये आदेश 01-12-2011 से प्रभावी होंगे।

4.4 राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा के तीन राज्यों में परिचालन अनुरक्षण लागत निम्नानुसार है:-

(स्रोत- शहरी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाएं, विश्व बैंक, जुलाई, 2012)

संदर्भ-ग्रंथ सूची

1. "भारतीय शहरी अवसंरचना एवं सेवाएँ" पर हाई पॉवर एक्सपर्ट कमेटी (एचपीईसी) की मार्च 2011 में मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट। (http://www.urbanindia.nic.in/programme/uwss/FinalReport_hpec.pdf)

2. ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) द्वारा अप्रैल 2010 में प्रस्तुत "उपयोगिता प्रभार निर्धारित करने और शहरी जल आपूर्ति के मूल्य निर्धारण के आर्थिक सिद्धांतों के समावेश की विद्यमान प्रथाओं की समीक्षा" पर ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट।
(http://www.urbanindia.nic.in/programme/lsg/TERI_UC_Report.pdf)

3. राष्ट्रीय जल नीति 2012, जल संसाधन मंत्रालय
(http://mowr.gov.in/writereaddata/linkimages/DraftNWP2012_English(6495132651.pdf)

4. हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा अधिसूचित हैदराबाद शहर में शुल्कदर (टैरिफ)।
(http://www.hyderabadwater.gov.in/wwo/ui/tariff.pdf)

5. सूरत शहर में उपभोक्ता प्रभार।
(http://www.suratmunicipal.org/content/hydraulic/trarrif.shtml)

शहरी विकास मंत्रालय

भारत सरकार

निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011, भारत

दूरभाषः (91-11) 23062482/1144 फैक्सः (91-11) 23062559

website: http://www.moud.gov.in